न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

दिनांक 28.08.2024

क्रमांक :– रीडर / 2024 / 710

प्रेषिति : – तहसीलदार (भू.अ.)
टिब्बी।

विषय :– प्रकरण संख्या 068 / 2024 कानाराम बनाम् पृथ्वीराज आदि अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए. में पारित निर्णय दिनांक 27.08.2024 की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि प्रार्थी कानाराम पुत्र बस्तीराम जाति मेघवाल निवासी मिर्जावालीमैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए. प्रस्तुत करने पर प्रकरण में दिनांक 27.08.2024 को निर्णय पारित किया गया।

इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की कृषि भूमि चक नम्बर 13 ए.जी. पत्थर नम्बर 207 / 378(36) किला नम्बर 19 एवं अप्रार्थी संख्या 5 व 6 की कृषि भूमि चक नम्बर 13 ए.जी. के खाता संख्या 5 / 5 के पत्थर नम्बर 207 / 378(36) किला नम्बर 22 / 2 में पूर्व दिशा की तरफ दक्षिण से उत्तर 0.013 हैक्टर रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। रास्ते में आई भूमि के बदले प्रार्थी की कृषि भूमि चक नम्बर 13 ए.जी. के पत्थर नम्बर 207 / 378(36) किला नम्बर 12 में से 0.026 हैक्टर भूमि, पूर्व से पश्चिम दक्षिण दिशा की तरफ अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के नाम एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के किला नम्बर 19 में से 0.013 हैक्टर पूर्व से पश्चिम उत्तर दिशा की तरफ रास्ते की भूमि छोड़कर अप्रार्थी संख्या 5 ता [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाकर चक नम्बर 13 ए.जी. के [illegible] हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.09.04 16:43:41 IST
Reason: SelfAttested

(स्वाति गुप्ता)

Scanned with CamScanner